

ट्रान्सजेंडर श्रमिकों के लिये कठनि हालात

चर्चा में क्यों ?

सरकार ने ट्रान्सजेंडर समुदाय को देश के श्रम कानूनों के ढाँचे में 'थर्ड जेंडर' के तौर पर रेखांकित करने का वचिार त्याग दिया है, जबकि पहले ऐसा कहा गया था कि ट्रान्सजेंडर श्रमिकों को रोज़गार के समान अवसर और कार्य-स्थल पर भेदभाव रहति व्यवहार सुनिश्चति करने हेतु श्रम कानूनों में बदलाव कयि जाएगा ।

क्यों यह चतिजनक है?

- दरअसल, वर्ष 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार ट्रान्सजेंडरों के 'थर्ड जेंडर' के तौर पर पहचान को मान्यता दी थी और केंद्र तथा राज्यों से कहा था कि उन्हें शक्तिषा और रोज़गार के उचति अवसर प्रदान कयि जाएँ ।
- इस संबंध में भारत सरकार के श्रम और रोज़गार मंत्रालय का कहना है कि उसके द्वारा ट्रान्सजेंडरों के अधिकारों को मान्यता देने संबंधी सुझाव दयि गए थे ।
- लेकिन कानून मंत्रालय ने यह कहते हुए संबंधति प्रावधानों को जोड़ने से मना कर दिया कि साधारण खंड अधिनियम, 1897 (General Clauses Act of 1897) के तहत ट्रान्सजेंडरों को पहले से ही 'एक व्यक्ती' के तौर पर परिभाषति कयि जा चुका है, इसलिये उनके लिये एक अलग खंड जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है ।
- किसी ट्रान्सजेंडर श्रमिक की पहचान सुनिश्चति होना ही उसके अधिकार रक्षण की शर्त नहीं हो सकती । अतः यह ज़रूरी था कि उनके लिये अलग से एक नया अनुभाग जोड़ा जाता ।

मुद्दे की पृष्ठभूमि

- वदिति हो कि फैक्ट्रियों एवं अन्य कार्य-स्थलों में ट्रान्सजेंडरस को रोज़गार की समानता और भेदभावयुक्त व्यवहार से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से सरकार ने पहले फैसला कयि था कि विह मौजूदा श्रम कानूनों में परिवर्तन लाएगी ।
- दरअसल, फैक्ट्री संशोधन वधियक 2015 में श्रम मंत्रालय ने ट्रान्सजेंडर श्रमिकों को रोज़गार प्रदान करने के उद्देश्य से धारा 66(ए) नामक एक नया अनुभाग पेश कयि था ।
- इस अनुभाग के संबंध में ततकालीन तौर पर कोई नरिणय नहीं लयिा गया था, लेकिन अब कानून मंत्रालय का यह कदम नरिशाजनक माना जा रहा है ।

नषिकर्ष

गौरतलब है कि विरष 2015 में फैक्ट्री एक्ट, 1948 में प्रस्तावति संशोधनों में सरकार ने ट्रान्सजेंडर श्रमिकों के लिये वशिष सुरक्षा प्रदान करने का प्रस्ताव कयि था । दरअसल, तब कहा गया था कि ट्रान्सजेंडर श्रमिकों के लिये रोज़गार के समान अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकारें वशिष प्रावधान कर सकती हैं और इसके लिये आवश्यक कानूनी सुधार कयि जाएंगे । ऐसे में श्रम कानूनों से संबंधति नवीनतम संशोधन ड्राफ्ट में ट्रान्सजेंडर समुदाय के लिये अलग से एक क्लॉज़ या अनुभाग का नहीं जोड़ा जाना, चतिति करने वाला है ।